न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राजसमन्द

प्रकरण : संख्या – 14/16 शीर्षक ....[illegible]........ बनाम ....[illegible]....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
14/3/18	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र 07 R 11 के प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा एवं विभाजन चाहने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमे वादी ने वर्णित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हुआ है परन्तु राजस्व अधिकारी द्वारा गलत निर्णीत कर दिया गया जिसको निरस्त करवाने हेतु उक्त दावा पेश किया है। वादी द्वारा उक्त वाद मिथ्या तथ्यों एवं कानून से परे जाकर उक्त वाद आप न्यायालय मे प्रस्तुत किया है कानूनन वादी राजस्व न्यायालय से पारित निर्णय को अपास्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करना होता है। राजस्व न्यायालय एवं राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश को पुन: राजस्व न्यायालय से निरस्त नही करवाया जा सकता है उक्त प्रकरण मे वादी एवं प्रतिवादी गण के मध्य आपसी सहमति विभाजन तहसील राजस्व अधिकारी द्वारा निर्णीत किया गया जिससे उक्त सहमति विभाजन के आदेश को अपास्त करने का माननीय न्यायालय को विधिक अधिकार नही है। उक्त रद्द प्राप्त करने हेतु सिविल न्यायालय को विधिक अधिकारिता है। जिससे उक्त वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज होने	

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राजसमन्द

प्रकरण : संख्या – 151/16 शीर्षक ...भूरा... बनाम ...सरदार अन्य...

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	योग्य है अतः प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वादी का वाद निरस्त किया जाना चाहिये। इसके खंडन में अप्रार्थी वादी ने बताया कि वादी के द्वारा वादपत्र में अंकित किया गया है कि संवत 2055 से 2058 में खातेदारान के बीच आपसी विभाजन किया गया। मगर उनके परस्पर हक को आपसी मिलीभगत से आराजी संख्या 182 रकबा 4-05 बीघा में प्रतिवादी नं 2 का कम हिस्सा होते हुए भी ज्यादा हिस्सा कायम कर लिया गया तथा आ.नं 182/1 में व अन्य खातेदारान के हिस्से में आ.नं. 182/2 में 2.02 बीघा भूमि रखकर सहमति से विभाजन हुआ। ने मिली भगत कर प्रतिवादी 2 ने उसके हक में कब्जा लिया जो अवैध है यह अंकित किया गया है जिसको दुरस्त कराने के लिये घोषणा की वाद अधि. न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसे न्यायालय के सिद्ध नहीं होते हैं तथा प्रतिवादी 2 के द्वारा प्रतिवादी नं 1 से मिली भगत कर रेवेन्यु के मध्य में वास्तव कम जमीन होते हुए भी अधिक जमीन प्रतिवादी 2 के हिस्से में रख दी गई थी जिसको दुरस्त करने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को ही है न कि उपखण्ड न्यायालय को भी है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना	

सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलेक्टर /उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट रेलमगरा, जिला–राजसमन्द

प्रकरण : संख्या – 141/16 शीर्षक ....[illegible].... बनाम ....सरकार आदि....

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नहीं है खारिज किया जावे। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया जाहिर आया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी सहमति से विभाजन किया गया है सहमति से किये गये विभाजन को निरस्त करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः प्रतिवादी का प्रार्थना 07 R11 का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से जमा हो जावे।	
	सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा	